219

जिला सैक्टर योजना 2013–14
(पूंजीगत चालू योजना)
संख्या–1473 (1)/XV-1/13/1(8)/11

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

विषयः अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2013–14 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–3040/नि०–5/एक(14)/भ०नि०सा०/2013–14 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिला योजना में अनुदान सं० 28 के अन्तर्गत नये पशुचिकित्सालयों व पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹ 202.63 लाख **(₹ दो करोड़ दो लाख तिरसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नैनीताल	22.71
2	ऊधमसिंहनगर	41.84
3	बागेश्वर	37.90
4	पिथौरागढ़	7.48
5	चम्पावत	18.34
6	देहरादून	9.23
7	पौड़ी	15.00
8	चमोली	10.37
9	रूद्रप्रयाग	15.98
10	उत्तरकाशी	14.86
11	हरिद्वार	8.92
	योग	**202.63**

(1) आगणन में उल्लिखित, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति/अनुमोदन नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त किया जाय।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(4) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से पूर्ण करते हुए कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही सम्पादित कराया जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लें एवं निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।

219

(6) आगणन में, जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

(7) निर्माण सामाग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामाग्री को प्रयोग में लाया जाये तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें व कार्य प्रारम्भ करने में देरी यदि हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जाय।

(8) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(9) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(10) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय संबंधी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

(11) धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403 –पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–91–जिला योजना–9101–पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या–413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1473 (1)/XV-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पशुपालन को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैबसाईट में डालने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
अनु सचिव